

वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

अक्टूबर, 2024 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग में हुए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

- i. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋण सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है और इसे "तरुण प्लस" के नाम से वर्गीकृत किया गया है। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24.10.2024 को जारी की गई है।
- ii. माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महा प्रबंधक के पदों को बढ़ाया गया है। इस कदम से बैंक बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण कर सकेंगे, आस्ति प्रबंधन और परिचालनात्मक क्षमता में सुधार होगा।
- iii. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने अपने संगठनों के साथ विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए। दिनांक 02.10.2024 से 31.10.2024 तक अभियान की अवधि के दौरान पूरे देश में 38,500 से अधिक स्थानों की सफाई की गई। 11.79 लाख वर्ग फुट कार्यालय की जगहों को खाली किया गया और इस अवधि के दौरान कचरे का निपटान करके 4.5 करोड़ रुपए अर्जित किए गए। इन खाली जगहों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे ग्राहकों के लिए लाउंज एरिया, पार्किंग, भंडारघर, क्रेच आदि के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अभियान अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और आरआरबी द्वारा संबंधित शाखाओं में अन्य कार्यकलाप जैसे निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना, नामांकन अद्यतन करना, अभियान मोड में लॉकर करारों का नवीकरण करना और पेंशन संबंधी शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन किया गया।
- iv. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के भाग के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग ने वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख साइबर सुरक्षा प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।
- v. अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप

1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति:

योजनाएं	दिनांक 23.10.2024 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृद्धि (दिनांक 23.10.2024 की स्थिति के अनुसार)	अक्टूबर, 2024 में वृद्धि (दिनांक 23.10.2024 तक)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ● पीएमजेडीवाई खातों की संख्या ● जमाराशि ● रूपा कार्ड की संख्या	53.87 करोड़ 2,39,503 करोड़ रुपए 36.72 करोड़	192.34 लाख 7001.01 करोड़ रुपए 136.87 लाख	25.61 (16.17 लाख ग्रामीण + 9.44 लाख शहरी) 7645.30 करोड़ 19.37 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) ● नामांकन ● संवितरित दावों की संख्या	47.07 करोड़ 1,46,116	326 लाख 11,543	50 लाख 1,409
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) ● नामांकन ● संवितरित दावों की संख्या	21.42 करोड़ 8,50,381	152 लाख 72,462	26 लाख 12,163
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (31.10.2024)	7.07 करोड़	63.32 लाख	8.46 लाख

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

पीएमएमवाई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 25.10.2024 की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 25.10.2024 तक)		अक्टूबर, 2024 के दौरान (दिनांक 25.10.2024 तक)	
	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)
शिशु	39.77	11.36	1.35	0.50	0.17	0.06
किशोर	9.40	12.32	0.93	1.12	0.16	0.18
तरुण	1.04	7.49	0.08	0.66	0.01	0.12
कुल	50.21	31.17	2.36	2.28	0.34	0.36
एमसी/एसटी/ओबीसी (कुल में शामिल)	25.23	10.89	1.19	0.80	0.19	0.14
महिलाएं (कुल में से)	33.98	13.73	1.48	0.88	0.26	0.16

स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई)

एसयूआई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 31.10.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 31.10.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		अक्टूबर 2024 के दौरान (दिनांक 31.10.2024 तक)	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अ.जा.	45,950	9,688.78	7,917	1,621.78	937	177.15
अ.ज.जा.	15,106	3,222.35	2,386	489.47	282	56.67
महिलाएं	1,90,590	43,928.92	13,216	3,157.18	2,008	462.16
कुल	2,51,646	56,840.05	23,519	5,268.43	3,227	695.98

2. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, 56 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 410 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 112 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 2.12 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.64 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से लगभग 112.34 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है।
3. **डिजिटल भुगतान:** देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन अक्टूबर 2024 माह में कुल 1,958 करोड़ तक पहुंच गया है और इसमें 1,658 करोड़ यूपीआई लेनदेन शामिल हैं।
4. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार 13,859.90 करोड़ रुपये की राशि के कुल 96.78 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 92.02 लाख ऋण आवेदनों में 12,923.75 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।
5. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 25.10.2024 की स्थिति के अनुसार, 175.55 करोड़ कासा खातों में से 154.29 करोड़ खातों (87.9%) को आधार से जोड़ दिया गया है।
6. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों को बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.56 करोड़ और 16.03 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है, जिनमें से अक्टूबर, 2024 (दिनांक 23.10.2024 तक) के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 8.38 लाख और 15.52 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।
